

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील

सेवा में,

<केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी
समन्वयक केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी>

1. अपील करने वाले का नाम :
2. पता :
3. आई.डी. संख्या :
4. अपील का कारण :

स्थान:

दिनांक:

अपील करने वाले के हस्ताक्षर
ई-मेल पता, यदि कोई हो-----
दूरभाष संख्या (कार्यालय)
(निवास)
डाक का पता-----

* मांग गई विशेष सूचना के लिए अपील करने का विशिष्ट कारण दिया जाना चाहिए।